भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-196
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

†*196. श्री के. राधाकृष्णन:
श्री सुखदेव भगत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कक्षा 1 से 12 के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को छात्रवृत्तियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक आवंटित केन्द्रीय धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले छात्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(ग) छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विद्यालय में निरंतर शिक्षा की अनुमानित दर क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति" के संबंध में माननीय लोक सभा संसद सदस्य श्री के. राधाकृष्णन और श्री सुखदेव भगत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे जाने वाले के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 196 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए है और एससी और एसटी श्रेणियों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए खुली है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए हर वर्ष कक्षा-IX के चयनित छात्रों को कक्षा-X से कक्षा-XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण हेतु एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि कक्षा-IX से शुरू होकर कक्षा-XII तक प्रति वर्ष 12000/- रुपये है। इस योजना के तहत धनराशि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी नहीं की जाती है और छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाती है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिए इस योजना के तहत आवंटित धनराशि का ब्यौरा और वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की राज्यवार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

कक्षा IX से कक्षा XII तक एनएमएमएसएस का लाभ उठाने वाले एससी और एसटी छात्रों की अनुमानित प्रतिधारण दर 65% है। प्रतिधारण दर की गणना वर्ष 2020-21 के दौरान कक्षा-IX में नई छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर की गई है।

अनुलग्नक-I

"कक्षा 1 से 12 तक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति" के संबंध में माननीय लोक सभा संसद सदस्य श्री के. राधाकृष्णन और श्री सुखदेव भगत द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे जाने वाले के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 196 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत आवंटित धनराशि और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	बजट आवंटन	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
		₹10.50 करोड़.	₹ 16.00 करोड़.	₹ 22.00 करोड़.
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रवृत्ति की संख्या (एसटी श्रेणी)		
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	*	1	2
2	आंध्र प्रदेश	436	452	627
3	तेलंगाना	419	386	288
4	अरुणाचल प्रदेश	95	238	120
5	असम	175	215	254
6	बिहार	221	276	191
7	चंडीगढ़	*	*	*
8	छत्तीसगढ़	385	10676	912
9	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	37	50	54
10	दिल्ली	23	23	26
11	गोवा	5	14	76
12	गुजरात	2605	2743	2855
13	हरियाणा	1	4	3
14	हिमाचल प्रदेश	320	346	344
15	जम्मू और कश्मीर	288	335	191
16	लद्दाख	#	#	111
17	झारखंड	332	370	402
18	कर्नाटक	797	806	869
19	लक्षद्वीप	*	*	8
20	केरल	360	382	432
21	मध्य प्रदेश	3128	3491	3331
22	महाराष्ट्र	2627	2798	2908
23	मणिपुर	9	37	139
24	मेघालय	54	91	127
25	मिजोरम	217	684	283

26	नागालैंड	*	*	65
27	ओडिशा	1725	1818	2062
28	पुदुचेरी	*	*	*
29	पंजाब	4	3	5
30	राजस्थान	1419	2364	2242
31	सिक्किम	37	56	63
32	तमिलनाडु	212	241	209
33	त्रिपुरा	19	42	73
34	उत्तर प्रदेश	३१	48	77
35	उत्तराखंड	32	52	72
36	पश्चिम बंगाल	447	653	964
कुल		**16460**	**29695**	**20385**
	वास्तविक व्यय^	**₹ 19.75 करोड़.**	**₹ 31.05 करोड़.**	**₹ 24.46 करोड़.**
* संबंधित श्रेणी में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।				
# वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में लद्दाख को जम्मू और कश्मीर राज्य में शामिल किया गया				
^ एससी/एसटी शीर्ष की समाप्ति के बाद योजना के सामान्य शीर्ष से व्यय के कारण वास्तविक व्यय बजट आबंटन से अधिक है।				
